14/3/14

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक–प्र०–6/द०बि०–नियम–03–08/2006 (अंश)– 2046(S) /पटना, दिनांक 6-3-14

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत
सचिव

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
जल संसाधन विभाग/ग्रामीण काय विभागं/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लघु एवं सिंचाई विभाग/नगर विकास विभाग

विषय :– निविदित दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार का पत्रांक–1/स्था०–10/2013–363 त०प०को० दिनांक–11.04.2013 द्वारा मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के पत्रांक–462 दिनांक–30.03.1982 के भाग–1/कंडिका–14 एवं पत्रांक–2347 दिनांक–31.12.1983 की कंडिका–6 (ग) को विलोपित किया गया तथा निविदित दर की अधिसीमा निर्धारित करने हेतु पथ निर्माण विभाग को अग्रेतर कार्रवाई किया जाना था।

2. उक्त परिपेक्ष्य में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–9049 (एस) अनु० दिनांक–26.11.2013 द्वारा *SBD* आधारित कार्यों के लिए प्रतिशत दर निविदा (*percentage rate tender*) पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत कम रहने पर निविदा का निष्पादन विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति से अनुमोदन (*Concurrence*) प्राप्त कर निविदा निष्पादन का निर्णय लिया गया था।

3. परिमाण विपत्र की राशि से निविदित दर 10 प्रतिशत के कम रहने पर निविदाओं के निष्पादन में उत्पन्न हो रही कठिनाईयाँ एवं निविदा की प्रक्रिया सभी कार्य विभागों में समरूप रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा पुनः समीक्षा की गई।

4. समीक्षोपरांत प्रतिशत दर (inpercentage rate tender) पद्धिति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र की दर (राशि) से 10 प्रतिशत कम तक निर्धारित की जाती है। 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाले निविदाएं अमान्य मानी जायेगी।

4.1 उक्त प्रावधान सभी कार्य विभागों में समान रूप से लागू माना जायेगा।

5. विभागीय पत्रांक–9049 (एस) दिनांक–26.11.2013 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन

6/3

(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक–प्र०–6/द०बि०–नियम–03–08/2006 (अंश)– 2046(S) /पटना, दिनांक 6-3-14

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

6/3
(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक–प्र०–6/द०बि०–नियम–03–08/2006 (अंश)– 2046(S) /पटना, दिनांक 6-3-14

प्रतिलिपिः–सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (सभी उपभाग) पथ निर्माण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3
(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक–प्र०–6/द०बि०–नियम–03–08/2006 (अंश)– 2046(S) /पटना, दिनांक 6-3-14

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को Soft copy की प्रति के साथ विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

6/3
(प्रत्यय अमृत)

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

ज्ञापांक–6/बैठक01–105/2011– 590 पटना, दिनांक– 13.3.14

प्रतिलिपि–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र/ सभी अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल / सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार/ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/14
(वीरेन्द्र कुमार)
मुख्य अभियंता (नागरिक)